न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –23/2019

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. गंगा पुत्री शिवनाथ जाति कुम्हार निवासी सिहोटगढ तहसील परबतसर जिला नागौर (राजस्थान) 2. कैलाशी देवी पुत्री शिवनाथ जाति कुम्हार निवासी सिहोटगढ तहसील परबतसर जिला नागौर (राजस्थान)		1. नागुराम पुत्र शिवनाथ जाति कुम्हार निवासी सिहोटगढ तहसील परबतसर जिला नागौर (राजस्थान) 2. मदनलाल पुत्र शिवनाथ जाति कुम्हार निवासी सिहोटगढ तहसील परबतसर जिला नागौर (राजस्थान) 3. रूघनाथराम पुत्र शिवनाथ जाति कुम्हार निवासी सिहोटगढ तहसील परबतसर जिला नागौर (राजस्थान) 4. चुकादेवी पुत्री शिवनाथ जाति कुम्हार निवासी सिहोटगढ तहसील परबतसर जिला नागौर (राजस्थान) 5. पटवारी, पटवार हल्का रोहिण्डी 6. उप पंजीयक परबतसर 7. नायब तहसीलदार पीलवा तहसील परबतसर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास, श्री ओमप्रकाश गौड़।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1,2 व 4 ओर से वकील श्री श्याम बारूपाल एवं रेस्पोडेन्ट्स 5, 6 व 7 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक : 5-8-2019

अपीलांट्स ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम सिहोटगढ (कुम्हारो की ढाणी मालास गुसाईयां) का म्यूटेशन संख्या 413 जो नायब तहसीलदार पीलवा द्वारा दिनांक 27.05.1992 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 18.03.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–3 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने

कलक्टर, नागौर

राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर दिनांक 27.05.1992 को फर्जी तरीके से अपने पिता व पति के स्थान पर नामान्तरकरण दर्ज करवाया है जबकि अपीलांट्स /प्रार्थीगण शिवनाथ की पुत्रीयां है। अपीलांट्स/ प्रार्थीगण हल्का पटवारी से मिली तो जानकारी हुई की अपीलांट्स का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है तब दिनांक 12.03.2019 को म्युटेशन की नकल निकलवाई तब जानकारी हुई , जानकारी से म्यूटेशन अपील अन्दर मियाद पेश है का कथन करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण /अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत म्युटेशन अपील को प्रस्तुत करने की देरी माफी प्रदान की जाकर अन्दर मयाद शुमार फरमानें का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री श्याम बारूपाल ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया एवं राजपैरोकार द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ मयाद प्रार्थना पत्र एवं अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार किया गया। प्रकरण में अपीलांट के मयाद प्रार्थना पत्र पर अपील में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि ग्राम सिहोटगढ (कुम्हारों की ढाणी मालास गुसाईयां), पटवार हल्का रोहिण्डी, तहसील परबतसर की सरहद में खेत खसरा नम्बर 77 रकबा 1.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.8100 हैक्टर, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.8200 हैक्टर, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.8100 हैक्टर, खसरा नम्बर 203 रकबा 0.9100 हैक्टर, खसरा नम्बर 204 रकबा 1.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 205 रकबा 1.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 380 रकबा 3.5400 हैक्टर भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 32 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 32/1 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 72 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 72/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 72/2 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 72/3 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 73/1 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 158 रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 158/1 रकबा 4 बिस्वा भूमि आई हुई है।

अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सिजरा खानदान में शिवनाथ के तीन पुत्र नागूराम, मदनलाल, रूघनाथराम तथा तीन पुत्रिया चूंकादेवी, गंगा व कैलाशी देवी है। विवादित आराजीयान की भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता शिवनाथ के नाम से खातेदारी दर्ज थी शिवनाथ की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व फुलादेवी पत्नी शिवनाथ ने फर्जी तरीके से राजस्व रेकर्ड में अपने अकेले का नाम दर्ज करवा लिया है लेकिन विवादित आराजी पर कब्जा काश्त अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 का चला आ रहा है फुलादेवी पत्नी शिवनाथ की मृत्यु हो चुकी है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व फुलादेवी पत्नी शिवनाथ ने फर्जी तरीके से नामान्तरकरण में अपने पिता व पति शिवनाथ के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाया है उस फर्जी नामान्तरकरण को स्वीकृत नायब तहसीलदार पीलवा द्वारा किया गया है जबकि हल्का पटवारी द्वारा जांच करने के बाद ही नामान्तरकरण दर्ज किया जाता है हल्का पटवारी ने कोई भी जांच नहीं की है तथा बिना जांच के ही फर्जी नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व फुलादेवी पत्नी शिवनाथ के नाम से दर्ज किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व फुलादेवी पत्नी शिवनाथ ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर म्युटेशन नम्बर 413 फर्जी तरीके से अपने पिता व पति के स्थान पर दर्ज करवाया है जबकि अपीलांट्स शिवनाथ की पुत्रीयां है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व फुलादेवी ने मिलीभगत कर अपीलांट्स का नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं करवाया है। अपीलांट्स अभी हल्का पटवारी से मिली और अपने नाम की खातेदारी की नकल मांगी तो हल्का पटवारी ने अपीलांट्स के नाम की कोई जमाबंदी नहीं होने की बात कही तब अपीलांट्स ने खसरा नम्बर के आधार पर जमाबंदी की नकले निकलवाई तथा नामान्तरकरण की नकल निकलवाई तब अपीलांट्स को जानकारी हुई की अपीलांट्स का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज ही नहीं होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर विवादित आराजीयान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के साथ अपीलांट्स का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री श्याम बारूपाल ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 4 की ओर से

जाते है। वकील अपीलान्टस् द्वारा किये उक्त कथनों के मध्यनजर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। म्यूटेशन जैर अपील निरस्त किया जाता है। मामला अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह उपर्युक्त विवेचन में दिये गये तथ्यों के सन्दर्भ में वादग्रस्त भूमि पैतृक होने एवं शिवनाथ पुत्र देवा कुम्हार सा. मालास गुंसाई के विधिक वारिसान के संबंध में जॉच कर, पक्षकारान को समुचित सुनवाई साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से आदेश पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय को मूल म्यूटेशन लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर